सं 11014/32/2015-राभा(प)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन डी सी सी – ।। भवन, चौथा तल, बी विंग'
जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001
दिनांक 16 17 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय ।

राजभाषा विभाग की पत्रिका राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय संबंधित राजभाषा विभाग के दिनांक 16 जून, 1994 के कार्यालय ज्ञापन सं 11014/25/93- राभा(प) तथा दिनांक 16 अगस्त, 1999 के का.ज्ञा.सं 11015/32/99 - राभा(प) में संशोधन करते हुए विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" में प्रकाशित लेखों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये लेखको को दी जानेवाली मानदेय की राशि बढ़ा दी गई है। मानदेय की नई दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

1. पत्रिका में प्रकाशित नियमित लेख - रु 3000/- (रु तीन हज़ार मात्र)
2. विशेषांक में प्रकाशित लेख - रु 5000/- (रु पाँच हज़ार मात्र)

नई दरें 01 जुलाई 2016 से प्रभावी होंगी । यह कार्यालय ज्ञापन आंतरिक वित्त प्रभाग (गृह) के डायरी सं 3353704/ए. एस.& एफ. ए.(एच)/2016 दिनांक: 27-05-2016 की सहमति से जारी किया जा रहा है। ये दरें केवल राजभाषा भारती में प्रकाशित लेखों के लिए मान्य होगीं।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. सभी मंत्रालय/विभाग –अनुरोध है कि इसका अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि में परिचालन करें।
2. रोकड़-1 अनुभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, चौथा तल, बी विंग', जय सिंह रोड,, नई दिल्ली ।
3. रोकड़-2 अनुभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, चौथा तल, बी विंग', जय सिंह रोड,, नई दिल्ली ।
4. आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
7. सचिव (राजभाषा) के प्रधान सचिव।
8. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग।